फाइल नं0-71-1002/17/2024

संख्या-63/2024/I/520981/2024

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 15 मार्च, 2024**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण को किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में शिफ्ट किये जाने के दृष्टिगत उसके मल्टीपरपज हाल (द्वितीय तल हाल नं0-1 व 2) हेतु रेनोवेशन/विशेष मरम्मत (03 साल मेन्टेनेन्स सहित) कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/बजट/2023-24/962, दिनांक 28.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण को किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में शिफ्ट किये जाने के दृष्टिगत उसके मल्टीपरपज हाल (द्वितीय तल हाल नं0-1 व 2) हेतु रेनोवेशन/विशेष मरम्मत (03 साल मेन्टेनेन्स सहित) कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रु० 1595.14 लाख की प्रति उपलब्ध कराते हुए पी0एफ0ए0डी0 से मूल्यांकित कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-158/2023/आई/453329/2023/71-1002(002)/28/2021, दिनांक 21.12.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या- 31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2210-05-001-03-निदेशन तथा प्रशासन में अनुपूरक मॉग के माध्यम से मानक मद-29-अनुरक्षण में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए महानिदेशक के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण को किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में शिफ्ट किये जाने के दृष्टिगत उसके मल्टीपरपज हाल (द्वितीय तल हाल नं0-1 व 2) हेतु रेनोवेशन/विशेष मरम्मत (03 साल मेन्टेनेन्स सहित) कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 1303.96 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21.12.2023

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या- 31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2210-05-001-03-निदेशन तथा प्रशासन के मानक मद-29-अनुरक्षण में महानिदेशक के निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. प्रयोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
2. प्रयोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यकतानुरूप महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाए।
3. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।
4. प्रायोजना प्रस्ताव में 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गई है। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो, जो वास्तविकता के आधार पर देय होगी।
5. प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु सिविल कार्यो का 3.75 प्रतिशत अर्थात् रू0 17.46 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाए।
6. प्रायोजना के प्रस्तावित फर्नीचर (रू0 274.56 लाख) व आडियो वीडियो सिस्टम (रू0 144.36 लाख) की धनराशि अनुमन्य की गयी है। पी0एफ0ए0डी0 का मत है कि प्रशासकीय विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए। इस समिति द्वारा इन कार्य मदों की आवश्यकता एवं औचित्य के परीक्षणोपरान्त जो लागत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत 03 वर्ष हेतु मेन्टीनेन्स की लागत प्रभाग द्वारा अनुमन्य नहीं किया गया है। पी0एफ0ए0डी0 का मत है कि प्रशासकीय विभाग इस कार्य मद की आवश्यकता एंव औचित्य के परीक्षण के उपरांत पृथक पत्रावली के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन रिनोवेशन कार्य से सम्बन्धित है। अतः पी0एफ0ए0डी0 का मत है कि प्रशासकीय विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए, जो कार्य मदों की आवश्यकता एंव गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
9. प्रायोजनान्तर्गत जिन कार्यमदों की लागत बाजार दरों/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है, इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस कार्य हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एंव स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए।
10. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रायोजनान्तर्गत फायर फाइटिंग सम्बन्धी कार्य नेशनल बिल्डिग कोड के अनुरूप है।
11. प्रायोजना का विस्तृत आगणन (डी0पी0आर0) में दरें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 10.10.2023 एंव 26.10.2023 द्वारा डी0एस0आर0 की दरों में फैक्टर/कास्ट इंडेक्स का समावेश किये जाने एवं कतिपय कार्यमदें वर्तमान बाजार भाव की दरों के विश्लेषण के अनुसार ली गयी है। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ /कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
12. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
13. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाए।
14. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एंव प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
15. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
16. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
17. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

18. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

19. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

20. वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है/ , उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद / हेतु किया जायेगा।

21. संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

22. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप-संख्या-2 / 2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 (यथा संशोधित) में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 , दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
5. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in